FORM-7

[REGULATION-9]

Quarterly Progress Report for quarter ending 31st March of 2025 (Year)

I. PARTICULARS OF PROMOTERS	
Promoter's Registration Number/CIN No.	U45400BR2015PTC023547
Name of the Promoter's Entity	MANDVI BUILDCON PVT. LTD.
Address of the Promoter's Entity:	2nd Floor, Saif Manzil, Near Bank Of Baroda, Exibition Road, Patna, 800001
Total Experience of promoter in Real Estate Sector	1 Completed REAL Estate Projects
Total Experience in Real Estate After commencement of RERA	1 Completed REAL Estate Projects
No of Project done Before commencement of RERA	No Any
No of Project done After commencement of RERA	1. Shail Villa, Saket Vihar,Mitra Mandal Colony,Phulwari,Patna, Block- Phulwari Sarif 2. Jagdish Villa, Saket Vihar ,Mitramandal Colony, Anisabad,Patna, Block- Phulwari Sarif

II. PARTICULARS OF PROJECT	
Project Registration Number	BRERAP181728050325150929E00
Name of Project	Jagdish Villa
Name of Promoter	MANDVI BUILDCON PVT. LTD.
Project Address	Mauza- Phulwari Sharif, Thana No.- 35, Khata No.- 719 and 706, S.Plot No.- 811 P, 812 P, 813 P, Dist- Patna, Bihar
Project Registration is valid up to	15/09/2029
Starting date of Project	30/10/2024
Type of Project	Residential/Group Housing
Name of the Competent Authority which sanctioned the project map	Nagar Parishad Phulwarisharif, Patna

Period of validity of map by the Competent Authority	Five Years from the date of passing of MAP

III. DISCLOSURE OF SOLD/BOOKED INVENTORY OF APARTMENTS

Building/Block Number	Apartment Type	Carpet Area (In Sqft)	Total Number of sanctioned apartments	Total Number of Apartments in Promoter's share– 11		Total Number of Apartments in Landowner's share– 12	
				Booked	AFS Executed	Booked	AFS Executed
Jagdish Villa	3 BHK	940.00	3	0	0	0	0
Jagdish Villa	3 BHK	850.00	3	0	0	0	0
Jagdish Villa	2 BHK	532.00	3	0	0	0	0
Jagdish Villa	3 BHK	831.00	3	0	0	0	0
Jagdish Villa	1 BHK	367.00	1	0	0	0	0
Jagdish Villa	1 BHK	382.00	1	0	0	0	0
Jagdish Villa	1 BHK	393.00	1	0	0	0	0
Jagdish Villa	2 BHK	554.00	1	0	0	0	0
Jagdish Villa	3 BHK	681.00	1	0	0	0	0
Jagdish Villa	3 BHK	815.00	3	0	0	0	0
Jagdish Villa	2 BHK	612.00	3	0	0	0	0
				Percentage of booking- 0 % of total units	Percentage of AFS- 0 % of total units	Percentage of booking- 0 % of total units	Percentage of AFS- 0 % of total units

IV. DETAILS OF ASSOCIATION OF ALLOTTEES :

Mandatory in case the booking percentage exceeds 50% of the total sanctioned flats/plots/buildings/commercial space

- **Note:- There is No Any Booking in this Project hence Not Required**

V. CANCELLATION OF FLAT ALLOTMENT, IF ANY WITH FLAT NUMBER/BUNGALOW /PLOT NO. /OFFICE SPACE/SHOP/ETC.

(A) Cancelled by Allotees **No Any**	(B) Cancelled by Promoters **No Any**

VI. DISCLOSURE OF SOLD / BOOKED INVENTORY OF GARAGES/ PARKING SPACE		
Building Wise/ Block Number	**Total Number of Sanctioned Garages/ Parking Space**	**Total Number of Garages/Parking Space:** **1. Booked/Allotted -**
Jagdish Villa	22	**0**

VII. DETAILS OF BUILDING APPROVALS					
Already filed along with Registration Application					
S. No.	Name of the Approval / N.O.C./ Permission / Certificate	Issuing Authority	Validity Upto		Attach Copy
1.	Environment Clearance				
2.	Fire N.O.C.	Office of the State Fire Officer-Cum-Director, Bihar, Patna			Copy Attached
4.	Airport Authority of India NOC	Airport Authority of India			Copy Attached
5.	Water Supply Permission				
6.	Other Approval(s), if any, required for the Project.				

VIII. PROGRESS OF THE PROJECT – INTERNAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

In case of more than one Block/Building/Apartments/Plots/Bungalow, the details have to be filled for each Block separately

Plan Case No.-788, Dated- 14.06.2024 (Jagdish Villa B+G+3) (To be added for each Building / Wing)

S. No. (1)	Tasks / Activity (2)	Percentage of Actual Work Done (As on date of the Certificate) (3)	Expected Completion date in (dd/mm/yyy) Format (4)
1.	Excavation (if any)	**0%**	**01-06-2025**
2.	Basements (if any)	**0%**	**12-08-2025**
3.	Podiums (if any)	**NA**	
4.	Plinth	**0%**	**10-10-2025**
5.	Stilt Floor	**NA**	
6.	Slabs of Super Structure	**0%**	**07-04-2026**
7.	Internal walls, Internal Plaster, Floorings, Doors and Windows within Flats /Premises.	**0%**	**01-12-2027**

8.	Sanitary Fittings within the Flat/Premises, Electrical Fittings within the Flat/Premises	**0%**	**10-12-2028**
9.	Staircases, Lifts Wells and Lobbies at each Floor level, Overhead and Underground Water Tanks.	**0%**	**10-12-2027**
10.	External plumbing and external plaster, elevation, completion of terraces with waterproofing of the Building/Wing.	**0%**	**10-02-2028**
11.	Installation of Lifts, water pumps, Fire Fighting Fittings and Equipment as per prescribed norms.	**0%**	**15-09-2028**
12.	N.O.C, Electrical fittings, Mechanical Equipment, compliance to conditions of environment as per prescribed norms	**0%**	**10-05-2029**
13.	Finishing to entrance lobby/s plinth protection, paving of areas appurtenant to Building/Wing, Compound Wall and all other requirements as may be required to complete project as per Specifications in Agreement of Sale. Any other activities.	**0%**	**10-06-2029**
14.	Overall Percentage of Actual Work Done and final completion date	**0%**	**10-08-2029**

IX. EXTERNAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS - PROGRESS RELATED TO AMENITIES AND COMMON AREA

S. No.	Common Areas and Facilities	Proposed (Yes/No)	Percentage of actual Work Done (As on date of the Certificate)	Expected Completion date in (dd/mm/yyy) Format
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Internal Roads & Footpaths	No	NA	
2.	Water Supply	Yes	0%	15-06-2028

3.	Sewerage (Chamber, Line, Septic Tank, STP)	Yes	0%	10-06-2029
4.	Storm Water Drains	No	NA	
5.	Landscaping & Tree Planting	No	NA	
6.	Street Lighting	No	NA	
7.	Community Buildings	No	NA	
8.	Treatment and Disposal of Sewage and Sullage Water	No	NA	
9.	Solid Waste Management & Disposal	No	NA	
10.	Water Conservation / RainWater Harvesting	No	NA	
11.	Energy Management	No	NA	
12.	Fire Protection and FireSafety Requirements	No	NA	
13.	Closed Parking	Yes	0%	10-06-2029
14.	Open Parking	No	NA	
15.	Electrical Meter Room, Sub-Station, Receiving Station	No	NA	
16.	Others (Option to AddMore)	No	NA	
17.	Overall Percentage of Actual Work Done and final completion date	Yes	0%	10-08-2029

X. EXTERNAL AND INTERNAL DEVELOPMENT WORKS IN CASE OF PLOTTED DEVELOPMENT
Not Applicable because our project is Residential/Group Housing.

XI. Financial Progress of the Project		
S.No.	**Particulars**	**Amount (in Rs.)**
1	Project Account No.	RERA Master A/C 43762062802
		RERA Project A/C 43330599100
		RERA Promoter A/C 43762034749
2	Estimated Cost of the Project including land cost at the start of the Project.	579.72/- **(In Lakh)**
3	Estimated Development Cost of the Project at the start of the Project.(Excluding Land Cost)	366.00/-**(In Lakh)**

4	Any Variation in Development Cost which is declared at the start of the Project.	No Any
5	Amount received during the Quarter	0.00/-
6	Actual Cost Incurred during the Quarter	0.00/-
7	Net amount at end of the Quarter	0.00/-
8	Total expenditure on Project **till date**	25,14,209.00/-
9	Cumulative fund collected till the end of Quarter in question	0.00/-
10	Cumulative expenditure done till the end of Quarter in question	25,14,209.00/-
11	Percentage of Expenditure incurred of the total Estimated development cost of the project.	0%

XII. Details Of Mortgage Or Charge If Any Created/Details Of Loan Taken By Promoters Against The Project, If Any.

No Any

XIII. GEO TAGGED AND DATE PHOTOGRAPH OF(EACH BLOCK) OF THE PROJECT		
(A)	**S. No.**	**Particulars**
	1.	**Front Elevation.-** Attached Below
	2.	**Rear Elevation.-** Attached Below
	3.	**Side Elevation.-** Attached Below
	4.	**Photograph of each floor showing the progress of interior works**
	5.	**Photograph of Common Areas (Staircase, Lift Area, Terrace, Parking, etc.)**
(B)		**Photograph of the display board set up at the project site providing requisite information along with the QR code of the project allotted by the Authority**

XIV. MISCELLANEOUS		
A	List of Legal Cases (if any) On Project / Promoter	
1.	Case No.	NA
2.	Name of Parties	NA
3.	No of Execution Cases against this project Case No. Name of Parties	NA

4.	No of Suo - Moto cases against this project Case No. Name of Parties	NA
5.	No of Certificate cases /PDR cases against this project Case No. Name of Parties	NA

XV. PERCENTAGE OF WORK ALONG WITH MILESTONE CHART
Weather the project in progress is as per time schedule or lagging behind?

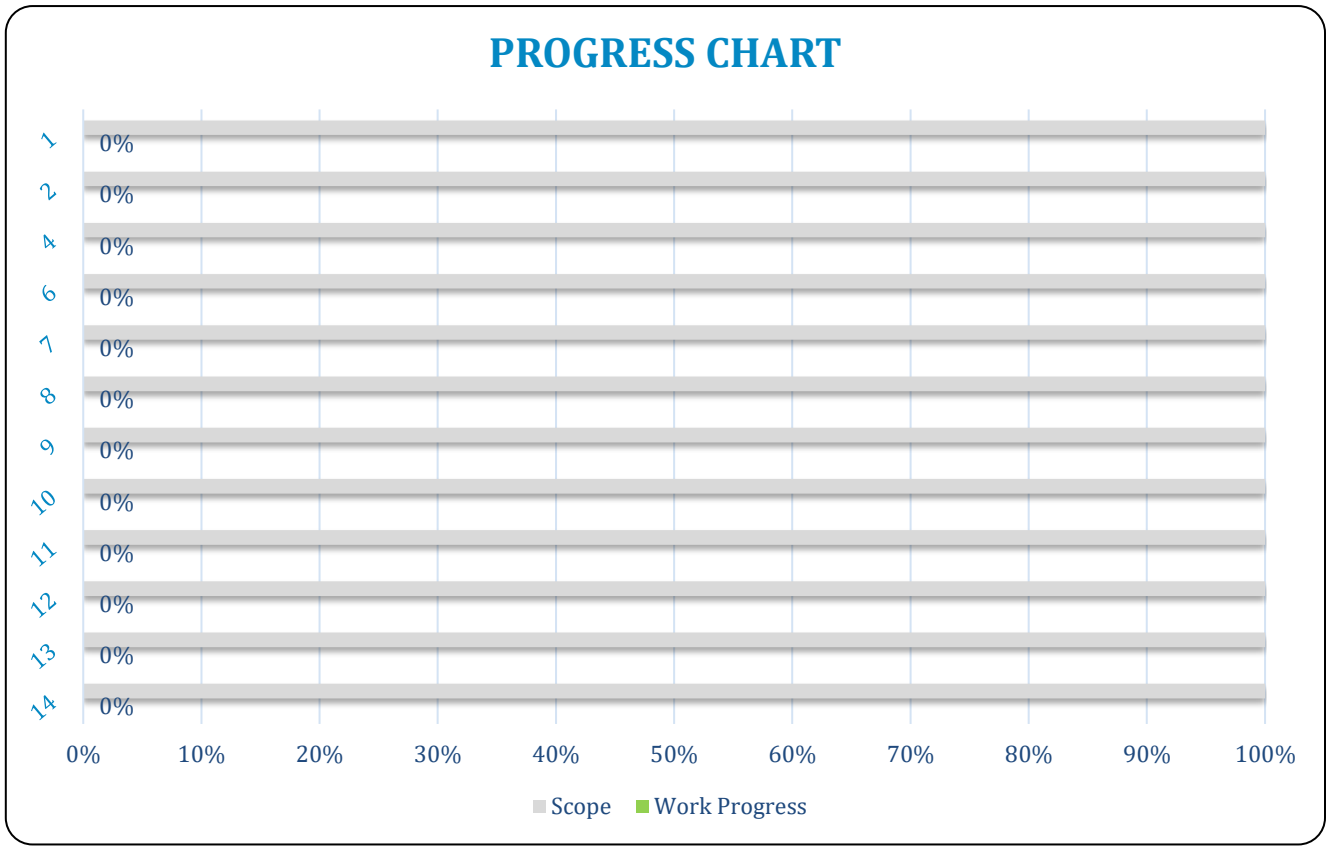

XVI. BROCHURE /Prospectus Copy of the brochure/prospectus to be uploaded with Form 7- Attached Below

XVII Grievance Redressal Officer
Name : ABHISHEK KUMAR
Contact No : 9334985007
Email id : mandvi.buildcon@gmail.com
Address : 2ND FLOOR,SAIF MANZIL,NEAR BANK OF BARODA,EXIBITION ROAD,PATNA

Project Site Photographs

Undertaking:

I/we solemnly affirm, declare and undertake that all the details stated above are true to the best of my/our knowledge and nothing material has been concealed here from. I am/we are executing this undertaking to attest to the truth of all the foregoing and to apprise the Authority of such facts as mentioned as well as for whatever other legal purposes this undertaking may serve.

Signature of Promoter

Name: Abhishek Kumar

Date :

प्रपत्र-ड़

File No.-376/2022

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

निदेशक, राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

अभिषेक कुमार,
निदेशक,
M/s Mandvi Buildcon Pvt. Ltd.

संदर्भ :- क्रमांक...4692... दिनांक.24-4-2023
आवेदनकर्त्ता मे0 **वास्तुविद, नवरत्न रघुवंशी** (विशिष्ट आई.डी.नं0 **CA/2013/58586**)

विषय :- भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता **अभिषेक कुमार** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **M/s Mandvi Buildcon Pvt. Ltd., निदेशक-श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्याम नारायण ठाकुर, प्लॉट नं0-811(पी),812(पी),813(पी), खाता नं0-719,706, थाना नं0-35, मौजा-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना,** अधिभोग **आवासीय,** उप श्रेणी **आवासीय,** भवन की ऊँचाई **11.95** (मीटर में), फर्श क्षेत्र **2504.36** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **3,** तलघर की संख्या **1,** स्लिट/भूतल की संख्या **1,** भवन के ब्लॉक की संख्या **1,** प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **30,** लिफ्ट की संख्या **2,** फायर लिफ्ट की संख्या **1,** रैम्प की संख्या **1,** आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **शून्य,** फायर टावर की संख्या **शून्य** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद/भवन निर्माणकर्त्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **3.48 मी0,** दक्षिण **3.05 मी0,** पूर्व **4.23 मी0,** पश्चिम **5.39 मी0**) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **2,** चौड़ाई **1.98,3.0** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **2,** चौड़ाई **1.98,3.0** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नही होना चाहिए।

(3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय-समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) **सीढ़ी :-**

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नही जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) **अग्नि सुरक्षा प्रणाली :-** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

(क) होज रील
(ख) वेट राईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (01 अदद्)
(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम
(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
(च) स्प्रीक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
(छ) भूतल स्टैटिक टैक की क्षमता 50000 लीटर
(ज) ओभर हेड वाटर टैक 25000 लीटर क्षमता
(झ) एक पम्प हाउस 2850 एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉकी पम्प, 450 एल.पी.एम. बूस्टर पम्प
(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय-समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय-समय पर यथा संशोधित** बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तो का पालन किया जाएगाा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार है :-

(क) **लिफ्ट :-**

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति ''फायर लिफ्ट'' पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेंटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रीक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0 एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0 एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रीक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/ तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय-समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेंटिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नही फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ

को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके ।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी-एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले मे, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यत: अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

20/4/23

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

1) मे0 वास्तुविद, नवरत्न रघुवंशी
2) अध्यक्ष, नगर निगम, **पटना**

179/23

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/022223/743149

मालिक का नाम एवं पता	MANDVI BUILDCON PVT LTD	**दिनांक/DATE:**	14-03-2023
OWNERS Name & Address	Director Abhishek Kumar at Flat No - 106 Devendra Residency Kankarbagh Main Road P.S.- Agamkuan Patna Bihar	**वैधता/ Valid Up to:**	13-03-2031

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)
No Objection Certificate for Height Clearance

1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुक्रम तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन हेतु भारत सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) की अधिसूचना जी. एस. आर. 751 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015, जी. एस. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्रावधानों के अंतर्गत दिया जाता है ।

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep.2015 amended by GSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.

2). इस कार्यालय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है I

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	PATN/EAST/B/022223/743149
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Vinay Kumar
स्थल का पता / Site Address*	Plot No - 811 P 812 P 813 P Khata No - 719 706 Thana No - 35 Mauza - Phulwarisharif,Patna Bihar,Patna,Bihar
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	25 34 45.01N 85 05 13.43E, 25 34 45.58N 85 05 13.54E, 25 34 44.88N 85 05 14.88E, 25 34 45.61N 85 05 14.97E
स्थल की ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	53 M
अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल मीटर में (औसतन समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	79 M

*** जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant***

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है | भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है | यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी | सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी ।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी | अर्थात, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई |

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 , के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है ।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरैस्टर, सीढ़िया, मुमटी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए ।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।
g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए ।
h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो । विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी |
i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरूद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा ।
j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट । सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी ।
k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता ।
l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Patna विमानक्षेत्रो के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रो और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रो, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है ।
m. This NOC ID has been assessed with respect to thePatna Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule – III, Schedule – IV(Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची- IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।

o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।

p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PATN/EAST/B/022223/743149

क्षेत्र का नाम / Region Name: पूर्व/EAST

पदनामित अधिकारी/Designated Officer नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	17/03/23 राजेन्द्र सिंह लहौरिया/R S Lahauria ने.सु.च.ब.अं. हवाई अड्डा/NSCBI Airport कोलकाता/Kolkata 700052
द्वारा तैयार Prepared by	17/03/23
द्वारा जांचा गया Verified by	BOSE 17.03.23.

ईमेल आईडी / EMAIL ID : gmatmer@aai.aero

फोन/ Ph: 033-25111293

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर मे)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री
Patna	1650.02	196.7
NOCID	PATN/EAST/B/022223/743149	

Street View

Satellite View

Jagdish Villa
RERA Reg. No.- BRERAP18172805032515092 9E00

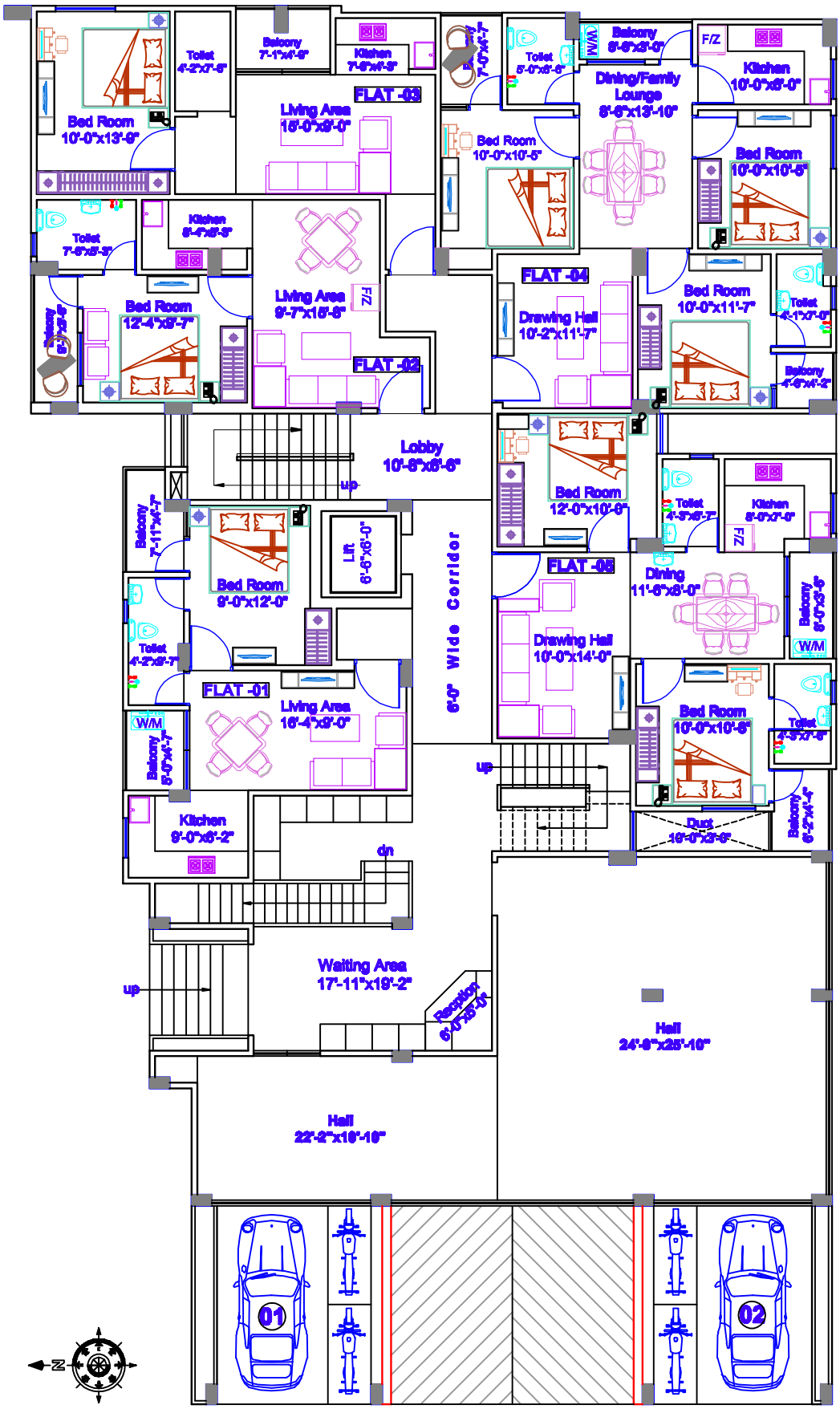

Ground Floor Booking Plan

Area Statement Typical 1st,2nd,& 3th Floor.

Flat no.	Description	Carpet Area	Balcony Area	Built-up Area	Total Area
101	1 Bhk	367.00 sqft.	59.00 sqft.	485.00 sqft.	630.00 sqft.
102	1 Bhk	382.00 sqft.	33.00 sqft.	483.00 sqft.	630.00 sqft.
103	1 Bhk	393.00 sqft.	33.00 sqft.	485.00 sqft.	630.00 sqft.
104	3 Bhk	651.00 sqft.	75.00 sqft.	807.00 sqft.	1045.00 sqft.
105	2 Bhk	554.00 sqft.	55.00 sqft.	652.00 sqft.	845.00 sqft.

RERA Bihar
Website:-
rera.bihar.gov.in

NO.	DATE.	REVISION.	CHKD.

SHEET REVISION RECORD

Developer:
Mandvi Buildcon Pvt.Ltd

Project:
Proposed Residential Building
Jagdish Villa

Architects:
R.D.K and Associates
Architects Engineers Interior Designers

SHEET TITLE:
Ground Floor Plan

Date: 22.08.2024 Scale: 1"=4'-0" North:

DRAWN BY:
APPROVED:
DRAWING CHK'
APPROVAL CHK'
CONSTRUCTION CHK'

Drawing No: A-2

R.d.k.and.a///A-0006 R0

NOTE :-

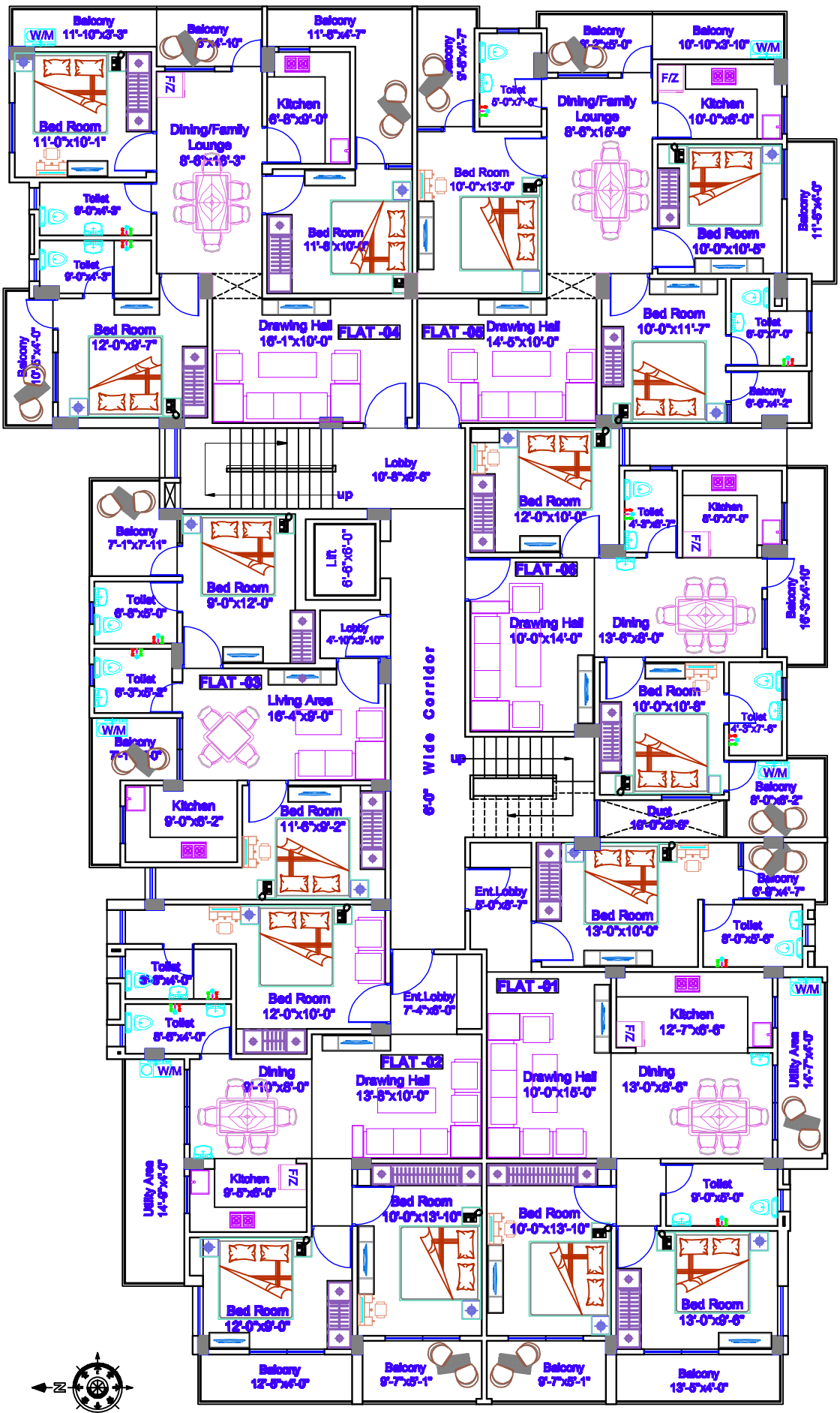

Typical 1st To 3rd Floor Booking Plan

Area Statement Typical 1st,2nd,& 3th Floor.

Flat no.	Description	Carpet Area	Balcony Area	Built-up Area	Total Area
101	3 Bhk	940.00 sqft.	188.00 sqft.	1200.00 sqft.	1560.00 sqft.
102	3 Bhk	850.00 sqft.	182.00 sqft.	1095.00 sqft.	1425.00 sqft.
103	2 Bhk	532.00 sqft.	105.00 sqft.	715.00 sqft.	930.00 sqft.
104	3 Bhk	831.00 sqft.	205.00 sqft.	1095.00 sqft.	1425.00 sqft.
105	3 Bhk	815.00 sqft.	202.00 sqft.	1068.00 sqft.	1395.00 sqft.
106	2 Bhk	612.00 sqft.	114.00 sqft.	770.00 sqft.	1001.00 sqft.

NO.	DATE.	REVISION.	CHKD.

SHEET REVISION RECORD

Developer:
Mandvi Buildcon Pvt.Ltd
2nd Floor Golf Klassik, Opp.-Symphonia Block, Bodakdev road, Pune-1, Mob. No.- 09825000000

Project:
Proposed Residential Building
Jagdish Villa
At.-Saket Vihar, Mitra Mandal Colony, Pimpleniland ,Pune.

Architects:
R.D.K and Associates
Architects Engineers Interior Designers
At - 313,Ashoka Plaza, Bodakdev Road,Pune-51
Mob no.- 09049-33733 (m)

SHEET TITLE:
Typical 1st To 3rd Floor Plan

Date- 22.02.2024 | Scale- 1"=4'-0" | North-

DRAWN
CHECKED
APPROVED

DRAWING COPY
APPROVAL COPY
CONSTRUCTION COPY

Drawing No.
A-3

R.d.k.and.a.///A-0000 | R0

NOTE :-
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF R.D.K. AND ASSOCIATES. ANY REPRODUCTION OR UNAUTHORISED USE OF THIS DRAWING IS STRICTLY PROHIBITED AND WILL RENDER THE USER LIABLE FOR LEGAL ACTION. THIS DRAWING IS TO BE READ WITH BUT CONFLICTS WITH IN WORKING.

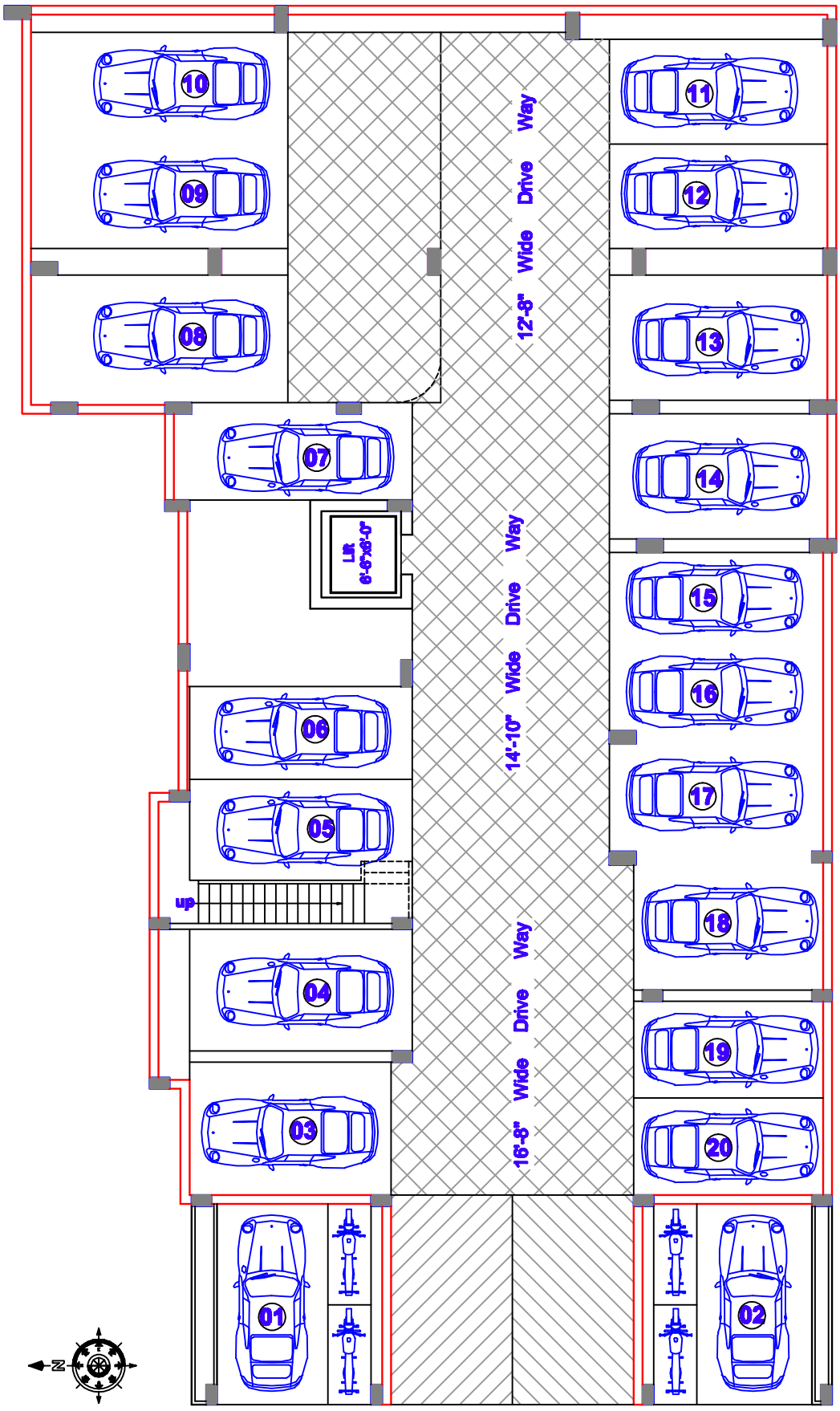

Basement Floor Plan

NO.	DATE.	REVISION.	CHKD.

SHEET REVISION RECORD

Developer:
Mandvi Buildcon Pvt.Ltd
2nd Floor Golf Elanza, Opp.-Symphony Block, Sahibaug road, Patan-1, Mob. No.- 09428000000

Project:
Proposed Residential Building
Jagdish Villa
At.-Saket Vihar, Man Mandal Colony, Phulwadi ,Patan.

Architects:
R.D.K and Associates
Architects Engineers Interior Designers
At - 313,Ashoka Plaza, Sahibaug Road,Patan-01
Mob no.- 98240-32728 (pr)

SHEET TITLE:
Basement Floor Plan

Date-	Scale-	Rev.No-
22.08.2024	1"=4'-0"	

DRAWN	Bhavesh Engineers	
CHECKED		
APPROVED		
DRAWING COPY		Drawing No- A-1
APPROVAL COPY		
CONSTRUCTION COPY		
R.d.k.and.a / / / A - 0108		R0

NOTE :-
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF R.D.K. AND ASSOCIATES AND SHOULD NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR WHICH IT IS PREPARED AND DELIVERED. ALL RIGHTS ARE RESERVED. COPYING OF THIS DRAWING IN ANY FORM WHATSOEVER IS STRICTLY PROHIBITED EXCEPT WITH THE PRIOR WRITTEN PERMISSION OF R.D.K. AND ASSOCIATES AND DUE ACKNOWLEDGEMENT. ANY INFRINGEMENT OF COPYRIGHT WILL BE LIABLE FOR LEGAL ACTION.